



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून - 248003

ई-मेल : eecd.ujnmussoorie@gmail.com

फोन : 0135-2736032

फैक्स : 0135-2733132

E-mail: jalnigam.mussoorie@yahoo.com

पत्रांक

सेवा में,

974/वन- भूमि/48

दिनांक 28.06.2018

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी

इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी

देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :

जनपद देहरादून के मसूरी स्थित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत (आरकेडिया जोन) में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.020 हे0 नोटिफाईड प्राईवेट फारेस्ट भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव संख्या FP/UK/Others/27134/2017 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत आरकेडिया जोन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 निर्माण हेतु वांछित 0.02 हे0 वन भूमि के प्रस्ताव पर आपके द्वारा ऑन लाईन लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है।

क्र0 स0.	आपत्ति	निराकरण
1	FRA certificate provided in the format prescribed for linear projects though this project is nonlinear in nature. The user agency may upload/provide revised FRA certificate in format prescribed for nonlinear projects.	FRA Certificate other than linear format में भरकर प्रस्तुत किया जा रहा है।
2	please upload a Copy of map indicating location of alternative examination section D of Form A part-i	मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत हुए सर्वेक्षण कार्य में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्मित सैप्टिक टैंक के स्थान को ही चयनित किया गया। तदनुसार सीवर लाईन बिछाई जा चुकी है। अतः अन्य विकल्प सम्भव ही नहीं है।
3	The applicant detail does not match with the authority letter issued to filled online form.	पूर्व में प्रस्ताव पर इस शाखा में कार्यरत श्री प्रवीन राज, अपर सहायक अभियन्ता, द्वारा कार्य किया जा रहा था, किन्तु उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के फलस्वरूप इस प्रस्ताव पर अब श्री प्रताप सिंह, अपर सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य किया जाएगा। तदनुसार ऑथरिटी लैटर अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न है।

Van bhomi

“जल संचय-जीवन संचय” “कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।”
वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

4	Justification for locating the project duly countersigned by DFO is not provided.	प्रस्ताव के प्रतिवेदन पर प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी के हस्ताक्षर के उपरान्त अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न है।
---	---	--

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

पृ० सं०

/वन- भूमि/

तददिनांक

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

B. R. Singh

for अधिशासी अभियन्ता

/

अधिशासी अभियन्ता

